



डा० के०के० पाल,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या 4905 / जी०एस०/शिक्षा C5-8(II)/2016
देहरादून: दिनांक: 16 फरवरी, 2016

:-आदेश:-


उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में कुलपति पद पर अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी आदेश संख्या 4435/जी०एस०/C5-8(II)/शिक्षा/2015 दिनांक 12 जनवरी, 2016 को एतद्वारा अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रो० पीयूष कान्त दीक्षित, प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

डा० के०के० पाल
कुलाधिपति।

संख्या 4905 (1) जी०एस० शिक्षा / C5-8 (II)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य प्रधान सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 6- प्रो० पीयूष कान्त दीक्षित, प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, बी-4 कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110016
- 7- कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- 8- कुलपति/कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, बी-4 कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110016
- 9- निदेशक, उच्च शिक्षा/संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ ✓


(अरुण कुमार ढौंडियाल)

विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।